

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग-11
संख्या- 1900 / 15-11-2017
लखनऊ: दिनांक: 13 अक्टूबर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

रिट याचिका संख्या-41353 / 2017 इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी बनाम उ०प्र० राज्य व 03 अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा परित आदेश दिनांक 07.09.2017 का 'कार्यात्मक अंश निम्नवत् है:-

..... It is the case of the applicant that already reports have been submitted in favour of the petitioner institution but final decision is awaited from the respondent no.1.

Considering the facts of the case, without expressing any opinion on the merits of the claim of the petitioner, this petition is disposed of with a direction upon the first respondent to consider and take an appropriate decision on the prayer of the petitioner within a period of two weeks from the date of furnishing of certified copy of the order along with copy of the application allegedly submitted by the petitioner for the said purpose.

2- मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के समादर में याची द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 20.09.2017 प्रस्तुत किया गया। याची द्वारा अपने प्रत्यावेदन में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, प्लॉट नं० 705, 706, 707, 768 इदगाह सरधना जनपद-मेरठ को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया गया है। प्रार्थी ने अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट किये जाने हेतु समस्त पत्रजात सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेज दिया है तथा निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० ने भी पत्रावली भेज दी है, जो शासन में लम्बित है। इस सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गयी। अतः रिट याचिका संख्या-41353 / 2017 इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी द्वारा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र दिनांक 31.07.2017 तथा उसके साथ संलग्न सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक 21.07.2017 में प्रश्नगत अल्पसंख्यक संस्था के सम्बन्ध में सोसायटी का प्रस्ताव, एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्गत डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) मान्यता आदेश की प्रमाणित प्रति, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, संकाय सदस्यों का अनुमोदन आदेश, सोसायटी का नवीनीकरण/पंजीकरण ट्रस्ट एवं स्मृति